



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12449/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
जगदीश गुप्ता 99, इन्दिरा कॉलोनी, अलवर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
निर्णय**

दिनांक : 22-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री विकास भारती, कार्मिक अधिकारी उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 26-5-17 के द्वारा दिनांक 1-4-2016 को कार्यरत रहे वरिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूची के विरुद्ध श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री श्रीनिवास शर्मा यू.डी.सी. नीमराना द्वारा प्रस्तुत अपील/प्रतिवेदन के क्रम में अधीक्षण अभियंता (पवस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. अलवर द्वारा आपको प्रस्तुत पत्र दिनांक 29-9-2016 पर आप द्वारा की गई कार्यवाही मय कार्यालय टिप्पणी सहित पूरे विवरण की प्रमाणित प्रलिलिपि चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 24-7-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 9-6-17 के द्वारा संसूचित कर दिया गया था कि वर्णित पत्र दिनांक 29-9-16 पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं होने के कारण आप द्वारा वांछित कार्यालय टिप्पणी की प्रति उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। अपीलार्थी की प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 24-7-17 को इसी आधार पर खारिज कर दी गई थी अतः हस्तगत अपील को खारिज फरमाया जावे।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 3-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा

उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना के बारे में संसूचित कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त